प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
27 मार्च, 2023

"आयुध निर्माणियों में लघु शस्त्रों के उत्पादन" पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 आज संसद में प्रस्तुत

"आयुध निर्माणियों में लघु शस्त्रों के उत्पादन" पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 आज यहाँ संसद में प्रस्तुत किया गया।

आयुध निर्माणियों में लघु शस्त्रों के उत्पादन

आठ शस्त्र निर्माण निर्माणियां, जो पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड के शस्त्र, वाहन और उपकरण (डब्ल्यू वी एंड ई) समूह के अंतर्गत थे, को आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के बाद, एक डी.पी.एस.यू- मेसर्स एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (मैसर्स ए.डब्ल्यू.ई.आई.एल) जिसका मुख्यालय कानपुर में है, के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है|

तीन शस्त्र निर्माण निर्माणी जैसे राइफल निर्माणी ईशापुर (आर.एफ.आई), लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर (एस.ए.एफ़) और आयुध निर्माणी त्रिची (ओ.एफ़.टी) लघु शस्त्रों (जैसे राइफल्स, मशीन गन, कार्बाइन, पिस्टल, दंगारोधी/आंसू गैस/पंप एक्शन गन, इत्यादि) का निर्माण सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों (एम.एच.ए) और पुलिस सहित राज्यों/संघ को निर्गम करने के लिए करती है। कुछ लघु शस्त्र जैसे स्पोर्टिंग राइफल, रिवॉल्वर आदि सिविल ट्रेड उपभोक्ताओं को भी जारी किए जाते हैं।

चयनित 12 लघु शस्त्रों के संबंध में 2015-16 से 2019-20 तक पांच साल की अवधि पूरा करने के लिए लघु शस्त्रों के निर्माण में आयुध निर्माणी बोर्ड के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए तीन लघु शस्त्र उत्पादन निर्माणियों में निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रमुख निष्कर्ष हैं :

- उत्पादन निष्पादन

आयुध निर्माणियों द्वारा लघु शस्त्रों का उत्पादन सशस्त्र सेना, मुख्यतः थल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था। यद्यपि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान लघु शस्त्र निर्माणियां सेना द्वारा या तो कोई मांग नहीं, या फिर बहुत कम मांग की साक्षी रहीं। जिसके परिणामस्वरूप, निर्माणियां गृह मंत्रालय के आदेशों पर अधिक निर्भर थी। थल सेना से आगामी आदेशों के न मिलने एवं गृह मंत्रालय से अपर्याप्त मांग के साथ-साथ गृह मंत्रालय को जारी मुख्य आइटमों के संबंध में उत्पादन में कमी के कारण तीन लघु शस्त्र निर्माणियों में उत्पादन क्षमता निष्क्रिय हो गई। चयनित लघु शस्त्रों के उत्पादन लक्ष्यों के संदर्भ में उल्लेखनीय रुप से कम आपूर्ति देखी गयी।

गुणवत्ता के मुद्दों के साथ-साथ राज्य पुलिस इकाईयों/निजी उपभोक्ताओं से अग्रिम भुगतान की प्राप्ति न होने/देर से प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादन लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के कारण उच्च इंवैट्री (31 मार्च 2020 तक उत्पादन की कुल लागत का 72 *प्रतिशत*) का संचय हुआ, जो कि लघु शस्त्र निर्माणियों में चिंता का विषय था। अकेले कार्य प्रगति पर है मार्च 2020 तक कुल इंवैंट्री का लगभग 56 *प्रतिशत* था।

- लघु शस्त्रों की गुणवत्ता

निर्माणियों के पास एक बहु-स्तरीय गुणवत्ता जाँच प्रणाली है, जिसमें उनका अपना एक गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग (क्यू.सी) और वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस.क्यू.ए.ई), महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन की एक शाखा शामिल हैं, जो प्रत्येक निर्माणी से जुड़ी हुई है। निर्धारित मात्रा और मापदंडो के सापेक्ष निर्माणी के क्यू.सी द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान इनपुट सामग्री निरीक्षण एवं स्तरीय/अंतर-स्तरीय जाँच में कमियों के परिणामस्वरूप एस.क्यू.ए.ई द्वारा समान आधार पर होने वाले "रिटर्न फॉर रेक्टिफीकेशन" (आर.एफ़.आर) की आवृति हुई।

के दौरान 20-2019 से 16-2015 थलसेना ने चार लघु शस्त्रों की दुर्घटनाओं की महत्वपूर्ण संख्या प्रतिवेदित की। दोष जांच समिति द्वारा पायी गयी त्रुटियों की प्रकृति ने मुख्यतः विभिन्न घटकों में गुणवत्ता की समस्या, कठोरता माप मे विचलन एवं विनिर्देशों के साथ इनपुट सामग्री की गैर-अनुरूपता को इंगित किया | दोष जांच समिति भी दुर्घटनाओं के कारणों की समायोचित जांच

करने एवं उनकी आवृति को टालने के लिए शीघ्र सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने में विफल रही।

- लघु शस्त्रों के उत्पादन की लागत प्रभावशीलता

लघु शस्त्र निर्माणियां ओवरहेड्स के उच्च स्तरों पर्यवेक्षण एवं)अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार के साथ (कार्यरत थीजिसके कारण उत्पादन लागत इकाई में वृद्धि हुई। लघु शस्त्रों के निर्गम मूल्य पिछले तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन लागत मूल्य जो कि उच्चत्तर स्तर पर थे की तुलना में काफी कम निर्धारित किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप आइटम के उत्पादन लागत इकाई और इकाई निर्गम मूल्य में काफी अंतर था। परिणामस्वरूप, 12 के दौरान 20-2019 से 16-2015 चयनित लघु शस्त्रों के निर्गम में तीन निर्माणियों को ₹ करोड़ 366की संचयी हानि उठानी पड़ी।

- लघु शस्त्रों के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

बोर्ड ने नवीन एवं अधिक आधुनिक लघु शस्त्रों को विकसित करने की योजना बनाई थी परन्तु परिप्रेक्ष्य योजना19-2018 से 17-2016 में परियोजित अपेक्षाओं एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। आरएंडडी परियोजनाएं भी जो कि परिप्रेक्ष्य योजना के साथ प्रारंभ की गयी थी ,अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही। इस अवधि के दौरान सशस्त्र बलों को अपनी , परिचालनआवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु शस्त्रों के आयात का सहारा लेना पड़ा।